

8.22

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं सरकारी वकील उपस्थित। विप्रायी वकील शेर से प्रार्थना पत्र पेश कर विवादित भूमि की तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने हेतु भवकर ब्रह्म रहे हैं जो न्यायपत्र में एक अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली वास्ते तथ्यात्मक रिपोर्ट व अंतिम बहल दिनांक 29.8.22 को पेश हो।

(नेहा सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

29.8.22

वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रायी वकील उपस्थित। विप्रायी वकील शेर से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की गई, जो शामिल मिसल हो। पत्रावली वास्ते प्रार्थना पत्र बहल व अंतिम बहल हेतु दिनांक 31-8-22 को पेश हो।

(नेहा सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

31/8/2022 वकील प्रार्थीगण उपस्थित। विप्रायी उपस्थित। विप्रायी की शेर को जवाब पेश दिया, जो शामिल मिसल हो। विप्रायी की शेर को जवाब की गई, कि एकटा में विप्रायी कोर्टा 2 की बालपुरा इन्डिशा किने जाने के अंतर्गत शांतिपत्र एक नोतिश तालीनी नहीं करता है, जो विप्रायी का आवेदन न्यायालय आवेदन की पासना नहीं कोले के कारण स्वतंत्र फरमादा जाते। वकील प्रार्थी ने निवेदन कि कि शाक ही तालीनी काली दी जावेगा। हमने उक्तपत्र को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया।

Talwar
31/08/2022



(नेहा सैनी)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा (बाड़मेर)

तारीख
हुक्म

दिना। विरुद्ध पापा पि जामि का
 आवेदन दिनांक 09.5.2022 को दूर
 राखी रख कर, विरुद्ध की नोडिस
 तारीखी करवाने के आदेश दिया था।
 लेकिन 03 माह के आदेश रूप
 धारित होने के उपरांत की आदेश
 तक नोडिस तारीखी नहीं कराई गई है,
 जबकि कारण 01 माह के भीतर राखी
 नोडिस तारीखी करवानी होती है। जबकि
 जामि पर इसी तीन माह के आदेश
 रूप धारित होने के उपरांत की आदेश
 तक नोडिस आदेश की जायना नहीं
 की गई है। ~~जबकि~~ जो कि नोडिस
 आदेश की जायना नहीं हो रही है।
 ऐसी स्थिति में जामि का आवेदन-पर
 जागे चलने प्रोच है। विरुद्ध जामि
 का आवेदन-पर नोडिस आदेश की
 जायना नहीं किने जाने के कारण
 इसी स्थिति पर खारिज किया जा रहा है।

जबकि कोरल सुपाटि अफर तब
 के अरि अर दारकीक दफतर हो।

जज अफर अधिकारी
 बालीक (बाउमेर)
 जज अफर अधिकारी